

नशे से दूर रहने के साथ ही स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने तथा संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव हृदय रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भगत सिंह : शहादत की मिट्टी से महकता रहेगा वतन



योगेश कुमार गोयल

शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनके कुछ प्रेरणादायी विचारों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। वह कहते थे, 'क्रांति मानव जाति का अपरिहार्य हक है और आजादी सभी का कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं लाई जा सकती बल्कि क्रांति की तलवार विचारों से ही तेज होती है।

युवा चेतना के अमर प्रेरणापुंज भगत सिंह... भारत को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। भारत के ऐसे ही सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं शहीद-ए-आजम भगत सिंह, जो केवल 23 वर्ष की अल्पायु में ही भारत को आजाद कराने के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और विचारधारा से देश की आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि लोगों में स्वतंत्रता और समानता का संदेश भी फैलाया। बहुत कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए। उनके बलिदान और साहस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। उन्होंने एक ओर जहां अपनी देशभक्ति से विदेशी हुकूमत को घुटनों पर लाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर अपने क्रांतिकारी विचारों से स्वतंत्रता संघर्ष में अलग-अलग बंटे भारत को एक करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। उनके प्रेरणादायी विचारों से पूरे भारत में स्वाधीनता की लहर और तेज हो गई थी। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की 119वीं जयंती मनाई जा रही है। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर जिले में जन्मे भगत सिंह ने महज 11 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कदम का निश्चय कर लिया था। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा के दौरान जो नरसंहार हुआ था, उसका भगत सिंह के दिलोदिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा था कि उन्होंने तभी ठान लिया था कि वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 'नौजवान भारत सभा' की स्थापना की और देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले भगत सिंह ने नारा लगाया था 'इंकलाब जिंदाबाद', जो आज भी भारत में स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक है। इस नारे ने उनकी शहादत के बाद लोगों में क्रांतिकारी भावनाओं को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अपने अंतिम क्षणों में



भगत सिंह ने अपने साथियों को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। वह प्रायः एक शेर गुनगुनाया करते थे- जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन लपेटे कातिल को दूँहते हैं। भगत सिंह जब पांच साल के थे, तब एक दिन अपने पिता के साथ खेत में गए और वहां कुछ तिनके चुनकर जमीन में गाड़ने लगे। पिता ने उनसे पूछा कि यह क्या कर रहे हो तो मासूमियत से भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं खेत में बंदूकें बो रहा हूं। जब वे उगकर बहुत सारी बंदूकें बन जाएंगी, तब इनका उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी चन्द्रशेखर आजाद से अपनी पहली मुलाकात के समय ही जलती मोमबत्ती की लौ पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनका समस्त जीवन वतन पर ही कुर्बान होगा। भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया। उसके बाद उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद की मदद से लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे

जेपी सॉडर्स को मार डाला। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड में मौजूद ब्रिटिश इंडिया की इमरजेंसी सेंट्रल असेंबली के सभागार में अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके और इसके जरिये आजादी की मांग की आवाज को हर देशवासी के कानों तक पहुंचा दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बम विस्फोट में भाग लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जेल में अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना झेलने के बाद भी भगत सिंह ने आजादी की मांग को जारी रखा। उनका आंदोलन जेल की सलाखों के पीछे भी जारी रहा और उन्होंने कई लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों से समूचे देश के जनमानस को जगया। वह हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, ऐसे में उन्होंने देशभर में आजादी की लड़ाई के लिए अपने संदेश पहुंचाने के प्रयास जारी रखे। अदालती कार्यवाही के दौरान जब कोर्ट में प्रश्नकार होते तो भगत सिंह आजादी की मांग को लेकर जोशीली बातें किया करते, जो प्रायः अगले दिन अखबारों के पहले पन्ने पर नजर आती, जिन्हें पढ़कर देश की

आजादी के लिए हर नागरिक का खून खौल उठता। कैद की सजा के दौरान भगत सिंह के साथ ही उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को भी अदालत ने 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई और फांसी के लिए 24 मार्च 1931 के दिन को चुना गया लेकिन देशवासियों के आक्रोश से डरकर अंग्रेजों द्वारा एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें गुप्तचुप तरीके से फांसी दे दी गई। अपने 23 वर्ष के छोटे से जीवनकाल में भगत सिंह ने वैचारिक क्रांति की ऐसी मशाल जलाई थी, जिससे आज के दौर में भी युवा काफी प्रभावित हैं। उनकी शहादत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और उनके बलिदान ने भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके जीने के तरीके और विचारों से आज भी प्रत्येक भारतीय प्रेरणा लेता है और खासकर देश के नौजवानों को तो उनका व्यक्तित्व सदैव प्रेरित करता रहेगा। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी और अपने क्रांतिकारी विचारों तथा आदर्शों से युवाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनके कुछ प्रेरणादायी विचारों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। वह कहते थे, 'क्रांति मानव जाति का अपरिहार्य हक है और आजादी सभी का कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं लाई जा सकती बल्कि क्रांति की तलवार विचारों से ही तेज होती है। किसी भी व्यक्ति को 'क्रांति' शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए, जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, वे अपने फायदे के हिसाब से इसे अलग अलग और मतलब दे देते हैं। कोई भी अत्याचारी साधारण व्यक्तियों को कुचलकर उनके विचारों को नहीं मार सकते। मैं दुनिया में न्याय और समानता देखना चाहता हूं। मैं भारत को एक स्वतंत्र और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहता हूं।' देशभक्ति, समानता और न्याय के लिए भगत सिंह देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। भारत माता के वीर सपूत और महान क्रांतिकारी भगत सिंह को शहीद हुए आज भले ही 95 वर्ष से भी ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी विचार हम सभी के जेहन में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे।

संपादकीय

वोट को लेकर जन-आंदोलन

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय जन-आंदोलन का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने राज्यों की राजधानियों में विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक भी 29 सितंबर को तय हुई है। शायद कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा! 'राजनीतिक कॉकरोचों' ने भी सीईसी का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन की धमकी दी है। विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने सीईसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और जेल में डालने की पुरजोर मांग की है। हालांकि दिसंबर, 2023 में चुनाव आयोग संबंधी कानून में संशोधन कर सीईसी, पूर्व सीईसी और चुनाव आयुक्तों को किसी भी तरह के केस और जेल भेजने की सजा से 'कानूनी छूट' दी गई थी। उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह संशोधन संसद में पारित किया गया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेता इस संसदीय संशोधन को जानते होंगे! फिर भी नेता प्रतिपक्ष ने सीईसी को 'गद्दार' और 'देशद्रोही' करार दिया है। उनके इस्तीफा और 'सरकारी गवाह' बनने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष को यकीन है कि ऐसे 'अपराधी' को सजा जरूर मिलनी चाहिए। विपक्ष का कथित 'इंडिया ब्लांक' संसद के दोनों सदनों में, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, 'महाभियोग' प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। इसी साल मार्च-अप्रैल में भी 'महाभियोग' का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति ने खारिज कर दिया था। लेकिन आसार पुख्ता होते जा रहे हैं कि शहर, कस्बा, गांव और गली-गली के स्तर पर देश का आम नागरिक 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) का ही बहिष्कार कर दे। चूंकि उनके वोट काटे जा रहे हैं, लिहाजा संविधान में दिए मताधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। यदि संविधान का ही उल्लंघन होता रहा, तो लोकतंत्र किस काम का..? लोकतंत्र की बुनियाद ही आम मतदाता का वोट और जनாदेश है। यदि वोट से संसद, विधानसभा, सरकारें नहीं चुनी जा सकती, तो वोट ही बेमानी किया जा रहा है। जन-आंदोलन इस मताधिकार को हासिल करने और एसआईआर की आड़ में 'चुनावी साजिश' को पराजित करने को लेकर उठा और देशव्यापी होगा। अब यह लोकतंत्र-समर्थक लामबंदी की ही अगिन-परीक्षा है कि वे आम नागरिक को कितना समझा पाते हैं कि 'वोट चोरी' के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं? राहुल गांधी और विपक्षी नेता अभी तक 'वोट चोरी' के आरोप लगा रहे थे, लिहाजा उन्हें 'शुद्ध राजनीति' माना जा रहा था। अब चुनाव आयोग के ही दो संवैधानिक चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों और संघर्षों से लगभग पुष्टि हो रही है कि 'वोट चोरी' ही नहीं, वोट देने का मौलिक अधिकार भी छीना जा रहा है। एक अभियान के तहत करीब 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम काट देना कोई सामान्य घटना नहीं है। गोवा जैसे छोटे-से राज्य का उदाहरण सार्वजनिक हुआ है कि 97 मतदाताओं के नाम और ब्यौरे 'सही' पाए गए, लेकिन राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी 8 बार ई-मेल कर और फोन पर ब्रीफ करके के बावजूद उन 97 नामों को मतदाता-सूची में जुड़वा नहीं सका। इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। उन मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार छिन गए, वे वोट नहीं दे सकेंगे, ऐसे लोकतंत्र का क्या करेंगे हम? यह कैसी प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्य के सीईओ की भी आयोग के आईटी सिस्टम तक पहुंच नहीं है! यकीनन अब यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी तक भी जाएगा। मुद्दा यह नहीं है कि सीईसी के पद पर ज्ञानेश का चयन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 'असहमति' को किनारे कर दिया गया। सरकारें ऐसे ही काम करती हैं और चयन प्रधानमंत्री के स्तर पर ही होता रहा है। इसमें साजिश क्या है? चूंकि अब चुनाव आयोग का भीतीर यथार्थ बेनकाब हुआ है, किसी ने भी उसका खंडन नहीं किया है, किसी ने भी सफाई नहीं दी है या अदालत में उसे चुनौती दी है, अंततः सीईसी ज्ञानेश को ही 'खलनायक' माना जा रहा है। यदि देश भर में जन-आंदोलन फैलता है, तो प्रधानमंत्री कब तक सीईसी को बचा पाएंगे? यह भाजपा-कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, देश के आम नागरिक के मताधिकार का सवाल है और यह राष्ट्रीय सरोकार का मुद्दा बन सकता है। विपक्ष का गंभीर आरोप है कि केंद्र तथा कई राज्यों में सरकार निर्माण में चुनाव आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण रही है। अगर यहां पर निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते, तो निश्चय ही भाजपा की सरकारें न बनतीं। राहुल गांधी का मानना है कि इन जगहों पर दोबारा से निष्पक्ष चुनाव करवाए जाने चाहिए। उनकी यह भी मांग है कि इस मसले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकारी गवाह बनना चाहिए। कांग्रेस कई राज्यों में इस मसले को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रही है। शायद केंद्र पर कुछ दबाव बने।

सूक्ति

नीच की नम्रता अत्यंत दुखदायी है, अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली सुककर वार करते हैं। - महर्षि वाल्मीकि
यदि दूसरों से अपने प्रतिकूल नहीं चाहते हो तो अपने मन को दूसरों के प्रतिकूल कामों से हटा लो। - अज्ञात

कुपोषण पर कलेक्टर का फोकस: 1200

न्यूट्री बारकेट बांटने के निर्देश, आंगनवाड़ियों में पोषण सुधार की होगी निगरानी



नीमच। जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। बैठक में लाइली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों की भर्ती, पोषण ट्रेकर, राष्ट्रीय पोषण माह और आंगन मिलन सेवा अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिले में कुपोषण की स्थिति में और सुधार के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने तथा नवाचार और जनसहयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी माह में जनसहयोग से कम से कम 1200 न्यूट्री बास्केट कुपोषित बच्चों को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने एक आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषक तत्वों से भरपूर गुणवत्तापूर्ण गर्म पका भोजन शुरू कर एक माह बाद बच्चों में हुए बदलाव की तुलना करने के निर्देश दिए। साथ ही दो आंगनवाड़ी केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन विकसित करने को कहा।

बैठक में कुपोषित बच्चों की माताओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका एवं पोषण गतिविधियों से जोड़ने, मंगल दिवस पर माताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने और पोषण एवं ईसीसीई प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने पोषण ट्रेकर पर बच्चों की आधार फेस मैचिंग पूरी कराने तथा एफआरएस के माध्यम से पात्र बच्चों को टीएचआर का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने को कहा। निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों की गुणवत्ता जांच, बच्चों के भोजन में नमक-शुकर का सीमित उपयोग और टीएचआर की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

कनावटी कर्मचारी कॉलोनी नगरपालिका को होगी हस्तांतरित, सड़क-स्ट्रीट लाइट की बदहाली पर कलेक्टर को पत्र

नीमच। ग्राम कनावटी स्थित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम के आवासीय कॉलोनी को नगर पालिका परिषद, नीमच को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

कॉलोनी में सड़क, स्ट्रीट लाइट और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को लेकर रहवासियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राज्य कर्मचारी आवास निगम ने नीमच कलेक्टर को पत्र भेजकर कॉलोनी के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका को सौंपने का प्रस्ताव रखा है।

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम ने शासकीय, केंद्र सरकार एवं उनके उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ग्राम कनावटी में आवासीय योजना विकसित की थी। योजना के लिए खसरा क्रमांक 421, 666 एवं 667 की कुल 15 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। योजना



के तहत आवासीय भूखंडों एवं भवनों के विकास के साथ अन्य विकास कार्य नगर पालिका परिषद, नीमच के माध्यम से कराए गए थे।

वर्तमान में कॉलोनी में सेवानिवृत्त

एवं सेवारत कर्मचारी निवास कर रहे हैं। रहवासियों की ओर से निगम को लगातार दूरभाष और पत्रों के माध्यम से शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों में स्ट्रीट लाइट बंद होने, सड़कों की खराब स्थिति और

स्कॉर्पियो से 4 विवंटल डोडाचूरा जब्त, राजस्थान ले जाते तस्कर को दबोचा, 8 लाख का माल बरामद

मंदसौर। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कसनारा-विषनिया रोड पर एक स्कॉर्पियो से 4 किंवटल डोडाचूरा जब्त किया है। पुलिस ने मामले में राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां निवासी जवाहरीलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया है। जब्त डोडाचूरा की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो में डोडाचूरा भरकर कसनारा से राजस्थान की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने फतेहगढ़ स्थित हनुमान मंदिर के

पास नाकाबंदी की। इसी दौरान कसनारा की ओर से आई काले रंग की स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में बड़ी मात्रा में डोडाचूरा मिला। पुलिस ने 4 किंवटल डोडाचूरा और स्कॉर्पियो जब्त कर आरोपी जवाहरीलाल विश्नोई पिता चौथाराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी वरुण तिवारी के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि डोडाचूरा कहाँ से लाया गया था और इसे राजस्थान में किसे पहुंचाना था। मामले में आगे की जांच जारी है।



जिसमें 500 एडवांस दिए जा चुके थे और शेष 3,500 बाद में देना तय हुआ। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने मामले की पुष्टि के लिए कार्रवाई की योजना बनाई। सोमवार को शिकायतकर्ता द्वारा तय रकम लेकर ग्राम पंचायत दलोदा पहुंचने पर लोकायुक्त टीम ने निगरानी रखी। जैसे ही 3,500 की रिश्वत की रकम ली गई, टीम ने सरपंच दुर्गाबाई केथवास और उनके पति अनिल केथवास को मौके पर पकड़ लिया। लोकायुक्त टीम ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में आगे की जांच जारी है।

टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 21 नवंबर तक कर सकेंगे ITR फाइल

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि में विस्तार कर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से देश भर के व्यवसायियों, कंपनियों, उद्यमियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को 21 दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है।

तकनीकी समस्याओं और भारी वर्कलोड के कारण लिया गया फैसला - आयकर पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों और अंतिम समय में अत्यधिक कार्यभार के कारण लंबे समय से करदाता और टैक्स प्रोफेशनल्स डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस राहत के साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आने वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दायित्व करने की अंतिम तिथि को भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है।

नियमित साफ-सफाई नहीं होने जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं।

इन शिकायतों को देखते हुए निगम के प्रबंध संचालक ने कलेक्टर को पत्र भेजकर कॉलोनी को नगर पालिका परिषद, नीमच को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि कॉलोनी के नियमित रखरखाव और रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

साथ ही, यदि कॉलोनी के अधिग्रहण अथवा मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय है तो उसका प्राक्कलन तैयार कर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध भी किया गया है। अब कलेक्टर स्तर से होने वाली कार्रवाई के बाद कॉलोनी के रखरखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका को मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।



पितरों की आत्मा की शांति के लिए करें मात्र एक ही उपाय

आश्विन माह के प्रथम दिवस 26 सितंबर से श्राद्धपक्ष शुरू होने जा रहा है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान के अलावा कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। आओ जानते हैं कि कौन सा एकमात्र उपाय करने से पितरों को मिलेगी शान्ति और पितृदोष होगा दूर।

पितृ शांति के लिए उपाय

- नियमित रूप से 16 दिन तक गो माता को घी मिली आटे की लोइयां बनाकर खिलाएं और उनकी पूजा और सेवा करें। हो सके तो हरा चारा खिलाएं।
- यदि उपरोक्त कार्य नहीं कर सकते हो तो श्राद्ध पक्ष में जब भी मंगलवार आए तो उस दिन हनुमान मंदिर जाकर के बजरंगबली को चोला चढ़ाएं और उनसे पितरों की मुक्ति एवं शांति की कामना करें।
- पंचबली कर्म - इसके अलावा आप चाहें तो पंचबलि कर्म भी कर सकते हैं। किस भी श्राद्ध तिथि में पंचबलि कर्म अर्थात् गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी और देवताओं को अन्न जल अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण भोज कराना चाहिए।

शुभ मुहूर्त

श्राद्धपक्ष में यदि आप पितरों के निमित्त, तर्पण, पिंडदान, पूजा आदि अनुष्ठान कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार कुतुप काल मुहूर्त में यह कर्म करें। शास्त्रों के अनुसार कुतुप, रोहिणी, मध्याह्न और अभिजीत काल में श्राद्ध करना चाहिए। यही श्राद्ध करने का सही समय है।

क्या है कुतुप काल

कुतुप काल दिन के 11.30 बजे से 12.30 के मध्य का समय होता है। वैसे कुतुप बेल दिन का आठवां मुहूर्त होता है। पाप का शमन करने के कारण इसे कुतुप कहा गया है।

इन 5 स्थानों पर रखें श्राद्ध का आहार

‘श्राद्ध’ शब्द ‘श्रद्धा’ से बना है यानी अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना। श्राद्ध न करने वाले दलील देते हैं कि जो मर गया है उसके निमित्त कुछ करने का औचित्य नहीं है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि संकल्प से किए गए कर्म जीव चाहें जिस योनि में हो, उस तक पहुंचता है तथा वह तृप्त होता है। यहां तक कि ब्रह्मा से लेकर घास तक तृप्त होते हैं। श्राद्ध करने का अधिकार सर्वप्रथम पुत्र को है तथा क्रमशः पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भानजा तथा सगौत्री कहे गए हैं। इनमें ज्यादा या सभी करें तो भी फल प्राप्ति सभी को होती है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन तथा पंचबलि कर्म किया जाता है। पंचबलि में गाय, कुत्ता और कौवा के साथ 5 स्थानों पर भोजन रखा जाता है। वे हैं-



नमोऽस्तु पितृभ्यः पितृपक्ष दौरान जप तप और पितरों के नाम से तर्पण से प्रसन्न होते हैं पितर

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है, वहीं इसका समापन आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर होता है। साल 2026 में पूर्णिमा का श्राद्ध (भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध) 26 सितंबर शनिवार, 2026 को रखा जाएगा। इसी दिन से साल 2026 के पितृ पक्ष की औपचारिक शुरुआत होगी।

मिलते हैं ये संकेत

यदि आपके घर में पितृ दोष लग गया है तो व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। पितृ दोष होने के कारण व्यक्ति की तरक्की भी रुक जाती है। साथ ही कारोबार में भी नुकसान होने लगता है। इतना ही नहीं एक के बाद एक दुर्घटनाएं होने लगती हैं। यह सभी संकेत पितृ दोष

होने की तरफ इशारा करते हैं।

ऐसे पाएं मुक्ति

पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष की अवधि को सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे में आपको पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितृ पक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान, और श्राद्ध कर्म जरूर करने चाहिए। इसके साथ ही पितरों के निमित्त भोजन और जल निकालें व पितरों का आह्वान कर, उन्हें ये सभी सामग्री अर्पित कर दें। इससे पितरों की नाराजगी दूर हो सकती है।

पितृ होंगे प्रसन्न

पितृ पक्ष में पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार, पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान

सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। पितरों के प्रसन्न होने पर जीवन में सुख-समृद्धि आती है लेकिन इसके विपरीत पितरों के नाराज होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं घेर लेती हैं। ऐसे में जानते हैं कि पितृ दोष होने पर व्यक्ति को क्या संकेत मिलते हैं और इससे किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है।

सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और सात बार परिक्रमा करें। साथ ही वृक्ष के नीचे काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों का स्मरण करें। इस उपाय से पितृ प्रसन्न होते हैं।

इस दिशा में जलाएं दीपक

पितृपक्ष के दौरान आपको पितरों के नाम का दीया जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। ऐसे में पितृपक्ष में रोजाना इस दिशा में पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही पितृ दोष से मुक्ति के लिए जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर अर्घ्य देना चाहिए।

16 दिनों में न भूलें ये बातें, पितरों का करें सम्मान

श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त घर में क्या कर्म करना चाहिए।

यह जिज्ञासा

सहजतावश अनेक व्यक्तियों में रहती है। यदि हम किसी भी तीर्थ स्थान, किसी भी पवित्र नदी, किसी भी पवित्र संगम पर नहीं जा पा रहे हैं तो निम्नलिखित सरल एवं संक्षिप्त कर्म घर पर ही अवश्य कर लें :

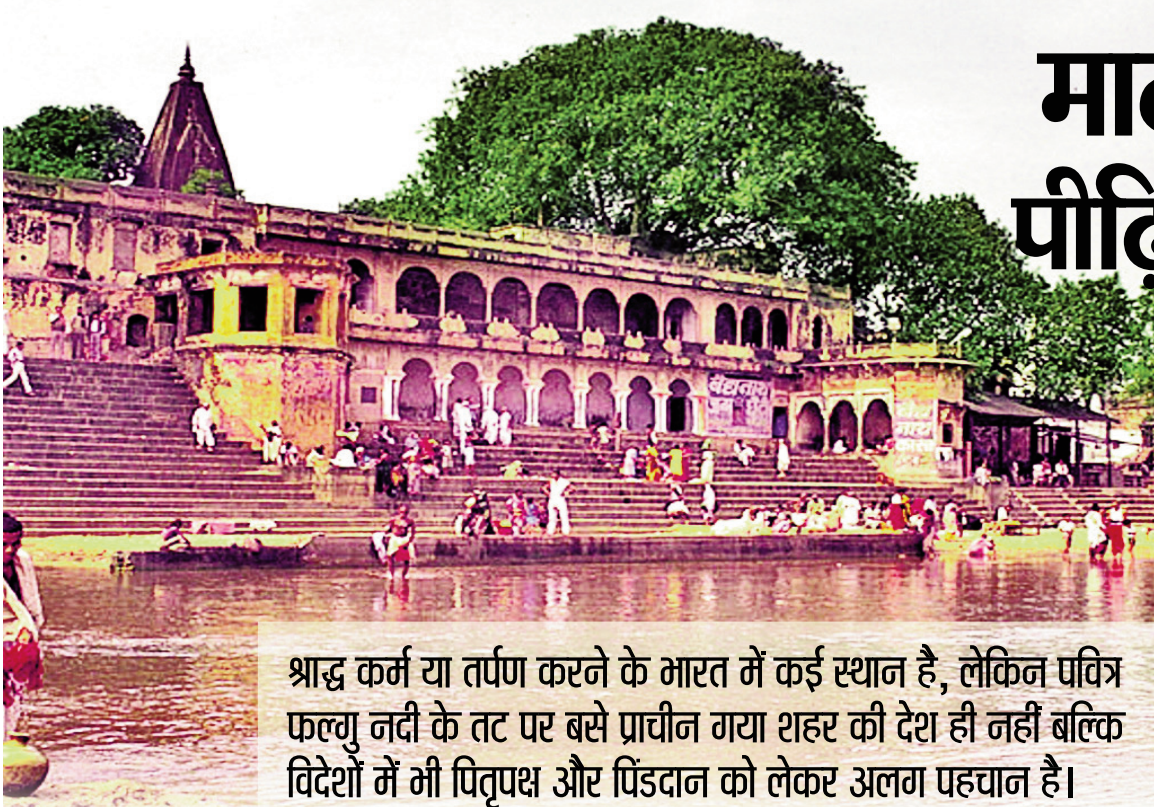
- प्रतिदिन खीर (अर्थात् दूध में पकाए हुए चावल में शक्कर एवं सुगंधित द्रव्य जैसे इलायची, केसर मिलाकर तैयार की गई सामग्री को खीर

कहते हैं) बनाकर तैयार कर लें।

- गाय के गोबर के कंडे को जलाकर पूर्ण प्रज्वलित कर लें।
- उक्त प्रज्वलित कंडे को शुद्ध स्थान में किसी बर्तन में रखकर, खीर से तीन आहुति दे दें।

- इसके नजदीक (पास में ही) जल का भरा हुआ एक गिलास रख दें अथवा लोटा रख दें।
- इस द्रव्य को अगले दिन किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें।
- भोजन में से सर्वप्रथम गाय, काले

कुत्ते और कौए के लिए घास अलग से निकालकर उन्हें खिला दें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पश्चात ब्राह्मणों को यथायोग्य दक्षिणा दें।



श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है।

पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास आश्विन माह के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष में मोक्षधाम गयाजी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता-पिता समेत सात पीढ़ियों का उद्धार होता है।

पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानीसहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थीं जहां पिंडदान

माता-पिता समेत सात पीढ़ियों का उद्धार करता है गयाजी में पिंडदान

किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची है। यहां की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगलागौरी, कागबलि आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख हैं। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। आओ जानते हैं इसके 5 कारण।

- गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्माजी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पापमुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते लोग भयमुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से पापमुक्त हो जाते थे। इससे बचने के लिए यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की

मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर पांच कोस में फैल गया। यही पांच कोस जगह आगे चलकर गया बना।

- देह दान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को तारने वाला बना रहे। तब से ही यह स्थान मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया।
- कहते हैं कि गया वह आता है जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहां अपने पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाता है। मतलब यह कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता है। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बदरीका क्षेत्र के ‘ब्रह्मकपाली’ में किया जाता है।
- गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए ‘गदाधर’ के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। अतः पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान है।
- पुराणों अनुसार ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, गोशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास- ये चारों मुक्ति के साधन हैं- गया में श्राद्ध करने से ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नीगमन और उक्त संसर्ग-जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं।



या हैं श्राद्धकर्ता व श्राद्धभोक्ता के लिए शास्त्र के निर्देश

श्राद्ध पक्ष में सभी सनातनधर्मी अपने पितरों के निमित्त श्राद्धकर्म करते हैं। सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के दो मुख्य अंग हैं- 1. पिण्डदान 2. ब्राह्मण भोजन। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध करने वाले (श्राद्धकर्ता) और श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण (श्राद्धभोक्ता) के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। आइए जानते हैं या हैं वे नियम

श्राद्ध कर्ता के लिए नियम

शास्त्रानुसार श्राद्धकर्ता को श्राद्ध वाले दिन निम्न नियमों का पालन आवश्यक रूप से करना ही चाहिए-

- पूर्णरूपेण सात्विक मनोदशा रखें।
- पान इत्यादि भक्षण ना करें।
- तेल मालिश, दादी, केशकर्तन इत्यादि ना कराएं।
- स्त्री के साथ सहवास ना करें।
- किसी दूसरे के घर अथवा बाहर भोजन ना करें।

श्राद्धभोक्ता के लिए नियम

शास्त्रानुसार श्राद्धभोक्ता को श्राद्ध वाले दिन निम्न नियमों का पालन आवश्यक रूप से करना ही चाहिए-

- श्राद्धभोजन करने के उपरांत उसी दिन दूसरे घर में दोबारा श्राद्धभोजन ना करें।
- लम्बी यात्रा ना करें।
- श्राद्धभोजन वाले दिन दान ना दें।
- स्त्री के साथ सहवास ना करें।
- भोजन करते समय मौन रहकर भोजन करें।

श्राद्ध किस जगह करें और किस जगह नहीं करें

भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। यदि आप इस दौरान अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करने जा रहे हैं तो यह भी जान लें कि शास्त्रों के अनुसार किस जगह श्राद्ध करना चाहिए और किस जगह पर नहीं। यदि अनुचित जगह पर श्राद्ध किया तो उसका फल नहीं मिलता है।

पितृपक्ष में कहां

श्राद्ध करना चाहिए?

- घर पर : श्राद्ध आप अपने घर में भी कर सकते हैं। दक्षिण में मुख करके श्राद्ध किया जाता है।
- तट पर : किसी पवित्र नदी, नदी संगम, समुद्र में गिरने वाली नदियों के तट पर उचित समय में विधि-विधान से श्राद्ध किया जा सकता है।
- बरगद के नीचे : पवित्र वट-वृक्ष के नीचे भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है।
- तीर्थ क्षेत्र : शास्त्रों में उल्लिखित किसी तीर्थ क्षेत्र में भी श्राद्ध किया जा सकता है।
- समुद्र तट पर : समुद्र के तट पर भी श्राद्ध किया जा सकता है।
- गोशाला : जहां बैल न हों ऐसी गोशाला में भी उचित

स्थान को गोबर से लिपकर शुद्ध करके श्राद्ध किया जा सकता है।

- पर्वत पर : पवित्र पर्वत शिखर पर भी श्राद्ध किया जा सकता है।
- जंगल में : वनों में उचित स्थान, स्वच्छ और मनोहर भूमि पर भी विधिपूर्वक श्राद्ध किया जा सकता है।

पितृपक्ष में कहां पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए?

- दूसरों की भूमि पर : किसी की पर्यन्तल भूमि पर श्राद्ध नहीं करते हैं। भूमि सार्वजनिक होना चाहिए। अगर दूसरे के गृह या भूमि पर श्राद्ध करना पड़े तो किराया या दक्षिणा भूस्वामी को दे देना चाहिए।
- अपवित्र भूमि : किसी भी प्रकार से अपवित्र हो रही भूमि पर भी श्राद्ध नहीं करते हैं।
- शमशान में : किसी ऐसे शमशान में श्राद्ध नहीं कर सकते हैं जिसे तीर्थ नहीं माना जाता।
- देव स्थान पर : किसी मंदिर के अंदर या देवस्थान पर भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए पंडित से सलाह लें।

NRI बनकर युवती से साढ़े 7 लाख ठगे, 6 गिरफ्तार : छह महीने में 11 करोड़ से का ट्रांजैक्शन, 150 फर्जी अकाउंट-सिम का इस्तेमाल, 22 लाख फ्रीज

मन्दसौर । मन्दसौर में मेट्रोमोनियल साइट के जरिए एक युवती से साढ़े 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने खुद को NRI बताकर युवती से संपर्क किया था। फर्जी फोटो और परिजनों की पहचान के जरिए भरोसा जीतकर शादी का

झांसा दिया। इसके बाद विदेश से महंगा गिफ्ट भेजने की बात कहकर कस्टम ड्यूटी और अन्य शुल्क के नाम पर अलग-अलग खातों में रुपए जमा कराए गए। एसपी विनोद कुमार मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी दी। शामगढ़ की एक युवती ने मेट्रोमोनियल वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई थी। आरोपी ने खुद को NRI बताकर उससे संपर्क किया। उसने नकली

फोटो और फर्जी परिजनों के जरिए युवती का भरोसा जीता और शादी का झांसा दिया। जयपुर-बिहार से आरोपी गिरफ्तार - आरोपी ने विदेश से महंगा गिफ्ट भेजने की बात कही। बाद में गिफ्ट कस्टम विभाग में पकड़े जाने की बात कहकर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और अन्य शुल्क के नाम पर युवती से अलग-अलग बैंक खातों में करीब

साढ़े 7 लाख रुपए जमा करवाए गए। पुलिस ने आरोपियों को राजस्थान के जयपुर और बिहार के अरवल से गिरफ्तार किया। 6 महीने में 11 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन - एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपियों के बैंक खातों में पिछले करीब 6 महीने में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। पुलिस को गिरोह के

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी मिले हैं। जांच में 100 से ज्यादा साइबर घटनाओं को अंजाम दिए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। 22 मोबाइल, 30 सिम और 150 बैंक अकाउंट जब्त - पुलिस ने 22 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 30 सिम जब्त किए हैं। सिम अलग-अलग लोगों के

नाम पर पंजीकृत मिले हैं। इसके अलावा 150 सिम कार्ड, 150 बैंक अकाउंट और 5 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अलग-अलग बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज कराया है। करीब 22 लाख रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं, जिसमें पीड़िता की रकम भी शामिल है। करीब 11 लाख रुपए की फ्रीजिंग प्रक्रिया में है। अलग-अलग लोगों को



नीमच से 5 बसों में 200 श्रद्धालु देवली रवाना, मुनिराज के दर्शन के साथ जहाजपुर-बिजोलिया तीर्थ करेंगे दर्शन

नीमच । दिगंबर जैन समाज के लिए आस्था और श्रद्धा से जुड़ी एक विशेष यात्रा आज रविवार शाम रवाना हुई। दिगंबर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष विजय शशि, विशाल और अतुल विनायका जैन ब्रोकर्स परिवार द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय धार्मिक यात्रा में करीब 5 बसों से लगभग 200 यात्री शामिल हुए हैं। यह यात्रा आज शाम करीब 9 बजे नीमच के फोर जीरो चौराहे से रवाना हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जहाजपुर, देवली और बिजोलिया के प्रमुख जैन तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन

करेंगे। इस यात्रा का विशेष महत्व इसलिए भी है, क्योंकि वर्ष 2024 में श्री वैराग्य सागर जी महाराज और श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का चातुर्मास नीमच नगर को प्राप्त हुआ था। उसी श्रद्धा और आध्यात्मिक जुड़ाव के चलते इस वर्ष दोनों



मुनिराज के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था देवली पहुंच रहा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जहाजपुर और बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र के भी दर्शन करेंगे। दो दिवसीय इस यात्रा को लेकर जैन समाज के लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। आस्था, भक्ति और गुरु दर्शन की भावना के साथ करीब 200 श्रद्धालुओं का यह जत्था नीमच से देवली की ओर रवाना हो चुका है। निश्चित तौर पर यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक दर्शन के साथ-साथ आध्यात्मिक अनुभूति और गुरु सान्निध्य प्राप्त करने का विशेष अवसर है।

दी गई थी अलग जिम्मेदारी - गिरोह में अलग-अलग लोगों को अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एक टीम म्यूल् बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम उपलब्ध कराती थी। इनमें आगरा, फिरोजाबाद, दिल्ली और बिहार से हासिल की गई सिम का इस्तेमाल किया जाता था। भोपाल से भी कुछ सिम और बैंक अकाउंट उपलब्ध कराए गए थे। दूसरी टीम अलग-अलग राज्यों में ठिकाने बदलकर रकम निकालती थी। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद आरोपी मोबाइल फोन, सिम, एटीएम कार्ड और पासबुक नष्ट कर देते थे। इसके बाद अगली ठगी के लिए नए मोबाइल, सिम और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य ठगी में इस्तेमाल मोबाइल और सिम का निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। प्रत्येक मोबाइल के साथ संबंधित

बैंक खाते की जानकारी वाली पर्ची रखी जाती थी और उसी मोबाइल से संबंधित खाते में लेन-देन किया जाता था। बिहार के रहने वाले हैं सभी 6 आरोपी - पुलिस ने त्रिलोकी कुमार (26), शिवम गुप्ता (25), बबलू कुशवाह (25), गुंजन गुप्ता (29), शशि कुमार (24) और टोनी कुमार (34) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। आरोपियों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं से ग्रेजुएशन तक है। मामले में गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और विदेशी कनेक्शन की जांच की जा रही है। एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि फ्रीज की गई राशि को प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायालय के माध्यम से पीड़ित को वापस दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।

खेत में छिपाकर रखा था 175 किलो डोडाचूरा, कुकड़ेश्वर पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा



नीमच। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुकड़ेश्वर पुलिस ने ग्राम हनुमंतिया में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने खेत पर छिपाकर रखा 175 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने 26 सितंबर को हनुमंतिया निवासी बलवंत पिता रतनलाल रावत (48) के खेत पर दबिशा दी। तलाशी के दौरान बलवंत रावत और उसके साथी हरिसिंह पिता बगदीराम रावत (45) के संयुक्त कब्जे से 175 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत मादक पदार्थ जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मुबारिक हुसैन के मछली कारोबार को मिला विस्तार

नीमच। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर नीमच जिले के मुबारिक हुसैन ने वर्षों पुराने मछली विक्रय व्यवसाय का विस्तार किया है। योजना के तहत मिली 4 लाख रुपए की अनुदान सहायता उनके कारोबार के लिए आर्थिक संवल बनी। मुबारिक हुसैन पिछले 10 से 15 वर्षों से मछली विक्रय व्यवसाय से जुड़े हैं। सीमित संसाधनों के कारण उन्हें कारोबार बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता मिलने के बाद उन्होंने

अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया। व्यवसाय का विस्तार होने से उनकी आमदनी में वृद्धि हुई और कारोबार का दायरा भी बढ़ा। मुबारिक हुसैन ने बताया कि योजना से मिली आर्थिक सहायता उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से छोटे व्यवसायियों और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।

SHRI S.R. GROUP OF COLLEGES

Admission Open 2025-26

MBA 2 Year **B.Pharm 4 Year** **D.Pharm 2 Year**

B.Ed. 2 Year **D.Ed./STC 2 Year** **B.Sc. B.Ed. 4 Year** **B.A. B.Ed. 4 Year**

Singoli Road, Newad, Neemuch (M.P.) City Office: Indira Nagar, PG College Road, Neemuch (M.P.)
8817326635, 8109927774 | shriscollege, colleges90@gmail.com

कार्यालय नगरपालिका परिषद, नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

क्रं. 332/ई-टेण्ड./01/लो.नि.वि./2026

नीमच, दिनांक 23/09/2026

ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट website <http://mptenders.gov.in> पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन <http://mptenders.gov.in> रहेगा।

क्रं/टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा प्रपत्र की अंतिम तिथि
2026_ UAD_538074_1	लायंस पार्क सौन्दर्यीकरण कार्य	6 Months 17128528+GST	Rs. 12500 Rs. 128470	24-10-2026

श्रीमती स्वाति गौरव चौपड़ा
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद नीमच

श्री मनोहर मोटवानी
सभापति लो.नि.वि.
नगरपालिका परिषद नीमच

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद नीमच

श्री देव वेल्डिंग वर्क्स

आवश्यकता है

वर्कशाप पर काम करने के लिए

वेल्डर, फिटर और हेल्पर

की तुरंत आवश्यकता है

संपर्क करें:

मदन माली - 9669999779
राजमल गायरी - 9926640630

पता:
स्टेशन रोड, चर्च के पास,
नयागांव-नीमच

पता: स्टेशन रोड, चर्च के पास, नयागांव-नीमच

GYANODAYA UNIVERSITY

& GROUP OF INSTITUTES - NEEMUCH (M.P.)

27,000+ Alumni | 24 years

Admission Announcement 2026-27

A Leading & Premier University in the Serenity of Neemuch

Vibrant Campus Life with 9000+ Currently Enrolled Students	Highest Package ₹12.75 Lac	Average Package ₹4.75 Lac	220+ Recruitment Partners
--	----------------------------	---------------------------	---------------------------

Courses Offered

Pharmacy D.Pharm B.Pharm M.Pharm	Nursing B.Sc Nursing GNM Nursing Post Basic Nur.	Management BBA MBA B.Com M.Com	Engineering B.Tech (CSE, Elect. Mech, Civil/Env & Safety) M.Tech (CSE/IT/AM Energy Tech)	Comp. Science BCA MCA B.Sc.(CS) M.Sc.(CS) DCA/PGDCA
Paramedical BPT BMLT DMLT OT/X-Ray	Agriculture B.Sc.(Ag) M.Sc. (Agronomy) (Horticulture)	Education B.Ed. D.Ed. BA B.Ed.* B.Sc. B.Ed.*	Polytechnic Electrical Mechanical Civil Comp. Sci.	ITI Electrician Fitter COPA
Science B.Sc. (PCMBZ/Biotech/ Maths/CS/Chemistry/ Microbio/CS)	M.Sc. (Physics/Bio.)	Social Work BSW MSW	Lib. Science B.Lib. M.Lib.	
Art & Humanities BA (Plain/ Journalism & mass communication)	MA (Hindi/Eng./Physca./Sociology Political Sci./Eco/Education)	Hotel Mgmt BHMCT Hotel Mgmt		
Hospital Mgmt MBA in Hospital & Health Care Management	Ph.D. All Subjects	Diploma Courses YOGA/ Beauty & Wellness Diet. & Nut./ Fitness Mgmt		

For Admission & Enquiry
Gram: Kanawati, Neemuch (M.P.) Call: 9827550959, 7771001344
www.gyanodayauniversity.ac.in | www.gyanodayanmh.in

आज ही बुक करें अपना **Zelo** इलेक्ट्रिक स्कूटर, घर ले जाए

मात्र रु ~~45,990/-~~ रु **41,990/-**
में वो भी 1 साल की बैटरी वारंटी के साथ

मात्र रु. **41,990/-** - इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज से शुरू ...

INTRODUCING **KNIGHT+**

#BuiltToPerform

RTO मॉडल मात्र

रु ~~81,000/-~~ रु **76,000/-***
(माइलेज 80-100 कि.मी.)
3 साल बैटरी की वारंटी के साथ

Zelo Electric Scooter

बंगला नं. 23, IDBI बैंक के सामने,
Lic रोड़, नीमच (म.प्र.)
मो. 940742399, 8770664866